शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 अक्टूबर 2026
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पर्क भाषा हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विशेषताएँ

डॉ. लोहारसिंह ब्राहम्णे
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झाबुआ मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

हिन्दी भारत की एक सशक्त, जीवंत और व्यापक सम्पर्क भाषा के रूप में ऐतिहासिक विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर वर्तमान स्वरूप में आई है। सम्पर्क भाषा हिन्दी आज विश्व भाषा के रूप में विकसित हो रही है। संसार के बहुत बड़े भूभाग में हिन्दी बोली व पढ़ी जाती है। सम्पर्क भाषा हिन्दी प्रदेश की भाषा ही नहीं है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा है और इसका स्वरूप निर्माण तथा विकास इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है। सम्पर्क भाषा हिन्दी का भारतीय स्वरूप सामाजिकए राजनीतिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक कारणों से निर्मित हुआ है। सार्वदेशिक सम्पर्क भाषा के रूप में सभी धर्मों, जातियों एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं के लोगों का समान रूप से योगदान रहा है। सम्पर्क भाषा विकास के प्रारम्भिक काल में ही यह सम्पर्क भाषा के रूप में दक्षिणी राज्यों में जा पहुंची 15वीं शताब्दी से पूर्व ही सम्पर्क भाषा के रूप में इसका प्रसारप्रचार होने लगा। आज हिन्दी केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के विशिष्ट कारण है वह भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति की सषक्त माध्यम है, क्योंकि भारत के आधिकांश लोगों की भाषा है। अहिन्दी भाषी लोगों ने भी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा आदि के माध्यम से हिन्दी को समझने व जानने लगे हैं। सभी भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने तथा अभिव्यंजना पद्धति को अपनाने से सम्पर्क भाषा हिन्दी का स्वरूप निर्धारण हुआ है। सम्पर्क भाषा हिन्दी एकता प्रेम, सद्भाव एवं विश्वबंधुत्व की भाषा है। उनमें अधिक से अधिक देशवासियों के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करने की क्षमता है। सम्पर्क भाषा हिन्दी के निर्माण में पारिभाषिक शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे रसायन, भौतिक, वैज्ञानिक, राजनीति आदि। विभिन्न शास्त्रों के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग होते है, उनकी पारिभाषिक शब्दावलीओं को पत्रिकाओं एवं शब्दकोषों के रूप में प्रकाशित होने लगे हैं। सम्पर्क भाषा हिन्दी को जनसाधारण तथा अहिन्दी भाषियों के निकट पंहुचाने में पारिभाषिक शब्दावली का विशिष्ट स्थान रहा है। इस प्रकार सम्पर्क भाषा की संकल्पना प्रयोजनमूलक भाषा की मूल चेतना है। सम्पर्क भाषा का यह स्वरूप ही प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप का निर्धारण कर सकता है। सम्पर्क भाषा एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा भावात्मक तथा व्यावहारिक स्तर पर एक मध्यस्थ कड़ी के रूप में कार्य करती है। भारत की अधिकांश जनता ने हिन्दी को स्वतंत्र रूप से सम्पर्क भाषा के रूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही अपना लिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश रूप से अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब धीरे-धीरे यह कार्य सम्पर्क भाषा हिन्दी के रूप में प्रयोग व व्यवहार किया जाता है। हिन्दी-अहिन्दी भाषी राज्यों के मध्य सम्पर्क भाषा के रूप में तो मान्य है ही, अब वह धीरे-धीरे विश्व भाषा के रूप विकसित हो रही है।

बीज शब्द : *सशक्त, जीवंत, अंतर्राष्ट्रीय, सद्भाव एवं विश्वबंधुत्व, शब्दकोश, सार्वदेशिक।*

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 अक्टूबर 2026
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा, हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों की राजभाषा और केन्द्र तथा हिन्दी-अहिन्दी भाषी राज्यों के माध्यम सम्पर्क भाषा के रूप में तो मान्य है ही, अब धीरे-धीरे विश्व भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। आज हिन्दी न केवल जनसंचार, शिक्षा, प्रशासन और साहित्य की प्रमुख भाषा हैए बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय का भी सशक्त आधार है। इस प्रकार हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशेषताएँ उसे भारत की सबसे प्रभावशाली सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित करती हैं। संस्कृत के बाद सार्वदेशिक सम्पर्क भाषा के रूप में अपने प्रारम्भिक काल से हिन्दी ही प्रयुक्त होती रही है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में विभिन्न संचार माध्यमों का अपना योगदान रहा है। एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा को माध्यम बनाया जाता है, उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं। सम्पर्क भाषा हिन्दी के स्वरूप निर्माण में लोकभाषा एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अहम् भूमिका रही है। संसार को एकसूत्र में बाँधने की परस्पर सहयोग की तथा विश्वबंधुत्व की भावना जगाने की क्षमता एकमात्र हिंदी भाषा में ही है। जनमानस की आशाओं-आकांक्षाओं के अनुरूप उसका हर क्षेत्र में विकासमान रूप दृष्टिगत होता जा रहा है। आज हिन्दी भाषा का महत्त्व किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व के समीकरण बदले हैं, हम वैश्वीकरण की हो चुके हैं। ऐसे में हिन्दी भाषा विश्वभाषा की ओर अग्रसर हो रही है। वास्तव में बहुभाषी देश में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग व व्यवहार के कारण विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिससे सम्पर्क स्थापित किया जा सके। उपर्युक्त विषय में सम्पर्क भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व विशेषताओं का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है।

भाषा का महत्व

भाषा मानव मन का परिधान है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों, आदर्शों, आकांक्षाओं को एक-दूसरे से व्यक्त करते हैं। भाषा के बिना मनुष्य गूंगा होता है। इस प्रकार पशुओं और मनुष्य को अलग.अलग करने का एक मात्र साधन भाषा है। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शनशास्त्र आदि की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में मनुष्य आज तक जो कुछ भी प्राप्त कर सका है उन समस्त उपलब्धियों का आधार भाषा ही है। भाषा के सहारे ही दया, करूणा, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि मानव की उदार भावनाएँ विकसित और पल्लवित हुई है।

मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य के मन में जो भी भावनाएँ स्थित है उन सबको समझने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की आत्म-शक्ति, दृढ़ता, निर्बलता, विश्वास, धैर्य, क्षमा आदि का ज्ञान वाणी द्वारा ही विशेष रूप से ही पाता है। भाषा सोचने-विचारने का साधन है साथ-साथ विचार-विनिमय का भी। भाषा द्वारा ही समस्त भावों एवं विचारों का विश्लेषण एवं उनकी अभिव्यक्ति की जाती है।

संसार को एकसूत्र में बाँधने की परस्पर सहयोग की तथा विश्वबंधुत्व की भावना जगाने की क्षमता एकमात्र भाषा में ही है। यह मनुष्य की समस्त उपलब्धियोंए उसके विकास तथा संस्कृति एवं सभ्यता की आधारशिला है।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अक्टूबर 2026
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पर्क भाषा : अर्थ एवं स्वरूप .

भारत विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों का संघ है। विभिन्न भाषाई राज्यों में रहने वाले लोगों को आपस में सम्पर्क करने के लिए या अपने को अभिव्यक्त करने के लिए एक आमभाषा की सख्त जरूरत है। अभिव्यक्ति या सम्पर्क के लिए एकमात्र सशक्त माध्मय भाषा ही है, लोगों के बीच सम्पर्क करने के लिए तथा व्यवहार की सुविधा के लिए सर्वसम्मत एवं बहुप्रचलित भाषा का प्रयोग होता है। इसे सम्पर्क भाषा या लिंक लैंग्वेज कहते हैं। राजनीतिक, औपचारिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी सम्पर्क भाषा का महत्त्व है। इसके साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी सम्पर्क भाषा जनता के विचारों और भावों की अभिव्यंजना का माध्यम बनती है। यदि ऐसी एक भाषा है तो जनता परम्परागत सांस्कृतिक महिमा से अवगत होकर भावात्मक एकता द्वारा एक राष्ट्र और एक हृदय का परिचय दे सकती है। सम्पर्क भाषा का महत्व स्वीकारते हुए सभी विद्वानों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय या देशीय विचारों के हेतु एक भाषा का होना नितान्त आवश्यक है। आधुनिक युग में सम्पर्क भाषा शब्द का अधिक प्रचलन हो गया है। सम्पर्क भाषा शब्द हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी की उदभावना है। संसद में भाषा संबंधी संशोधन नियम पारित करते समय कुछ सदस्यों ने हिन्दी के प्रभुत्व के संबंध में आवाज उठाई, तब नेहरूजी ने समझाकर कहा कि भारत एक विशाल देश है और हमारी आपसी मैत्री तथा एकता बनाये रखने के लिए एक 'लिंक लैंग्वेज' की आवश्यकता है। बाद में यह प्रयोग काफी प्रचलित हो गया और उस शब्द का समानार्थी है 'सम्पर्क भाषा।' किसी भी राष्ट्र के लिए एक सम्पर्क भाषा का होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय तथा लोकहित की भावना को सर्वसुलभ बनाने में सम्पर्क भाषा का विस्तार जितना अधिक है उस भाषा.भाषी जनता की भावनात्मकए बौद्धिक और राजनीतिक एकता उतनी ही टिकाऊ और स्पृहणीय होती है। भाषा के क्षेत्र में वहीं अनेकता में एकता का प्रयास अनादि काल से चला आ रहा है। भारत में पहले लोगों ने सम्पर्क भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। शंकराचार्य ने पूरे भारत वर्ष में अपने अद्वैतवाद के प्रचार.प्रसार के लिए संस्कृत का सहारा लिया थाए क्योंकि संस्कृत उस जमाने में सम्पूर्ण भारत में प्रचलित भाषा थी।

सम्पर्क भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि .

अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही यह सम्पर्क भाषा के रूप में दक्षिणी राज्यों में जा पहुंची। अपने दक्षिणी प्रवास में इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण के साथ अपना सम्पर्क बना लिया था। 15वीं सदी से पूर्व ही सम्पर्क भाषा के रूप में इसका प्रसार-प्रचार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो चुका था। राष्ट्रीय आन्दोलन से संबद्ध सभी संगठनों ने हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया। आर्य समाज, बह्मसमाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी आदि इनमें प्रमुख हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना जैसे-जैसे तीव्र होती गयी, वैसे-वैसे सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास का अनुभव भी दृढ़ होता गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् इस कार्य में तीव्रता आ गयी तो गांधीजी ने राष्ट्रभाषा या सम्पर्क भाषा के प्रचार कार्य को भी अन्य राष्ट्रीय कार्यों के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन में संबद्ध सभी नेताओं ने हिन्दी को देश की सर्वप्रचलित सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया

है। राष्ट्रीयता के सूत्र को मजबूत बनाने के लिए भारत के समान दक्षिण भारत में भी हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू किया। इस प्रकार दक्षिण भारत के सभी प्रान्तों में हिन्दी-प्रचारक संस्थाओं की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत में हिन्दी भाषा को मानक रूप देते हुए प्रयुक्ति के विविध आयामों के अनुरूप विकास किया गया। उसमें अनेक विश्व वैज्ञानिक तकनीकी एवं मानविकी आदि के सन्दर्भ में शब्दावली का निर्माण किया गया है। देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी के इस मानक स्वरूप ने सम्पर्क भाषा का प्रश्न खड़ा कर दिया। सम्पर्क भाषा कोई भाषागत भेद नहीं है। सम्पर्क भाषा की संकल्पना देश की बहुभाषी स्थिति और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभ्यता एवं संस्कृति के बहुविधि स्वरूप और विकास के सन्दर्भ में उपस्थित होकर सामने आती है। सम्पर्क भाषा की परिभाषा देते हुए प्रसिद्ध भाषा विचारक डॉ.दंगल झाल्टे का कथन है, "अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति, राज्य-राज्य, राज्य-केन्द्र तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है उसे सम्पर्क भाषा की संज्ञा दी जा सकती है।" इस प्रकार सम्पर्क भाषा की संकल्पना प्रयोजनमूलक भाषा की मूल चेतना है। किसी भी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में गाह्य स्वरूप ही उसे प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वरूप निर्माण की दिशा दे सकता है। भारत जैसे बहुभाषी देश की कोई एक भाषा राज्य समुदाय तथा जनसामान्य की सुविधानुसार सम्पर्क भाषा का रूप धारण कर तब तक प्रस्थापित नहीं हो सकती जब तक वह देश की विभिन्न भाषाओंए देश की सभ्यता और संस्कृति को बहु आयामी स्वरूप और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में अपने स्वरूप विकास की रेखा न बना लें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी बहुभाषी राष्ट्र में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जा सकती हो और अपनी सहज भाषा प्रकृति को देश की भाषिक संस्कृति के साथ आत्मसात् करके व्यावहारिक रूप से सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करती हो, वही भाषा सम्पर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर सकती है। सम्पर्क भाषा का यह स्वरूप ही प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप निर्माण कर सकता है।

सम्पर्क भाषा की मुख्य विषेषताएँ .

उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति एवं सरलता, प्रयोजनमूलक भाषा के स्वरूप निर्माण का आधार होना चाहिए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि सम्पर्क भाषा में पारिभाषिकए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम रहता है और यदि रहता भी है तो वह सम्पर्क की प्रयोजन पूर्ति हेतु पूरकरूप में ही विद्यमान रहता है। यह सम्पर्क भाषा को देखने की एकांगी दृष्टि है। सम्पर्क भाषा मूल रूप में प्रयोजनमूलक ही होती है। उसमें जीवन की सभी दिशाओं के प्रयोजन समाहित होते हैं। अतः प्रयोजन के अनुसार पारिभाषिक शब्दावलीए तकनीकी शब्दावली तथा वैज्ञानिक शब्दावली सम्पर्क भाषा के साथ जुड़कर भाषा के प्रयोजनमूलक रूप देती है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को लेकर बहुत विचार हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान किया गया तथा अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में ही विकसित करने पर जोर दिया गया है। उक्त अनुच्छेद में ऐसी हिन्दी का विकास करने का निर्देश हैं, जिसमें हिन्दुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं की शैली रूप तथा पदावली की आत्मसात् करके संस्कृत तथा अन्य देशीविदेशी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण कर उसका ऐसा रूप उभरे जो भारत की सामाजिक संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को जिस रूप में विकसित करने का निर्देश संविधान में

किया गया, प्रयोजनमूलक हिन्दी का विकास उसके अनुसार नहीं हो सका। प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण के लिए मूलतः संस्कृत की धातुओं, प्रत्यय और उपसर्गों का सहारा लिया गया जिससे एक टकसाली हिन्दी का स्वरूप निर्माण तो हुआ लेकिन सम्पर्क भाषा का स्वरूप नहीं बन सका। यदि ऐसी सम्पर्क भाषा का स्वरूप निर्माण होता जो प्रयोजनमूलक होने के साथ-साथ व्यवहारमूलक भी होती है तो वह जीवन के अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ राजभाषा के रूप में सफलता पूर्वक स्थापित हो सकती थी, हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरूप पर विचार करने के लिए हमें राजभाषा के रूप में हिन्दी के स्वरूप पर भी विचार करना होगा। ऐसी भाषा भावात्मक तथा व्यावहारिक स्तर पर एक मध्यस्थ कड़ी का महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारत देश में हिन्दी राजभाषा के साथ-साथ सम्पर्क भाषा का गौरव भी हासिल किए हुए है। भारत की बहुसंख्यक जनता ने हिन्दी को निर्विवाद रूप से सम्पर्क भाषा के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पूर्व ही अपना लिया था। सम्पर्कभाषा राष्ट्रीय स्तर पर जनमान्य के मध्य कानूनी बाध्यताओं से परे परिस्थिति युगीन आवश्यकता पूर्ति के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्तहोते हुए पनपती है। सरकारी प्रशासनिक काम-काज, सक्रिय राजनीति, मनोरंजन और वाणिज्य-व्यापार के अतिरिक्त सारे देश में विभिन्न राज्योंए वर्गों और बहुभाषीभाषी लोगों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक अदान-प्रदान और व्यवहार के लिए हिन्दी ही सम्पर्क साधक भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर अंग्रेजी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग व व्यवहार किया जाता है।

निष्कर्ष

हिन्दी भारत की एक सशक्त, जीवंत और व्यापक सम्पर्क भाषा के रूप में ऐतिहासिक विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर वर्तमान स्वरूप में आई है। अपभ्रंश और अवहट्ट से विकसित होकर, विभिन्न बोलियों के समन्वय से बनी हिन्दी ने मध्यकाल से आधुनिक काल तक सामाजिकए सांस्कृतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर परिष्कृत किया है। अपनी सरलता, लचीलापन, ग्रहणशीलता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता के कारण हिन्दी ने देश के विभिन्न भाषायी समुदायों के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनने की योग्यता प्राप्त की। विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति ने इसे और अधिक समृद्ध बनाया है। आज हिन्दी न केवल जनसंचार, शिक्षा, प्रशासन और साहित्य की प्रमुख भाषा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय का भी सशक्त आधार है। इस प्रकार हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशेषताएँ उसे भारत की सबसे प्रभावशाली सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित करती हैं। संस्कृत के बाद सार्वदेशिक सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी ही अपनी प्रारम्भिक काल से प्रयुक्त होती रही है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में विभिन्न संचार माध्यमों का अपना योगदान रहा है। एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा को माध्यम बनाया जाता है उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं। सम्पर्क भाषा हिन्दी के स्वरूप निर्माण में लोकभाषा एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अहम् भूमिका रही है। संसार को एकसूत्र में बाँधने की परस्पर सहयोग की तथा विश्वबंधुत्व की भावना जगाने की क्षमता एकमात्र हिंदी भाषा में ही है। अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही यह सम्पर्क भाषा के रूप में दक्षिणी राज्यों में जा पहुंची। अपने दक्षिणी प्रवास में इसने लगभग

सम्पूर्ण दक्षिण के साथ अपना अलग सम्पर्क बना लिया। आज हिन्दी केवल प्रदेश.विशेष की भाषा नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा है और इसका स्वरूप निर्माण तथा विकास इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ .

1 डॉ.अर्चना श्रीवास्तव, प्रयोजनमूलक हिन्दी विविध आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी

2 डॉ.दंगल झाल्टे, प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग, 2026, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली

3 डॉ.नीलम कपूर व सुनीता भाटिया, प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं पत्रकारिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

4 विनोद गोदरे, प्रयोजनमूलक हिन्दी, 2024, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली

5 डॉ.सुशीला गुप्ता प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन, जयभारती प्रकाशन इलाहबाद

6 सुरेश कुमार व ठाकुर दास सम्पर्क भाषा हिन्दी के विविध आयाम, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा